

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1, सागर (म.प्र.)

🕾 ; 07582-223809 ( सिविल कोर्ट के पास ) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001 <u>E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,</u>

पत्र क्र**े** कार्य /2023-24 प्रति,

सागर, दिनाँकः 20 /10/2023

वन मंडल अधिकारी, दक्षिण वन मंडल सागर

विषय:-

जिला सागर के अंतर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हे. (ऑनलाइन रकवा 182.16 हे.) वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत ।

सन्दर्भः-

- 1. भारत सरकार, पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 21.08.2023।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध ), सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्र एफ-3/101/2021/10-11/12/3782 भोपाल दिनांक 22.08.2023।
- 3. अ.वि.अ. जल संसाधन उपसंभाग क्र.3 गढ़ाकोटा का पत्र क्र.237/अनु.लि./2023 दिनांक .!%/10/23

----000-----

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हे. (ऑनलाइन रकवा 182.16 हें.) की स्टेज-1 वन स्वीकृति उपरान्त स्टेज-2 वन स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन तैयार कर आपकी ओर प्रेषित ।

सहपत्र- पालन प्रतिवेदन

(अखिल विरथ्ये) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)

सागर दिनाँक / /0/2023

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.3 गढ़ाकोटा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आखल बिरथरे) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)

E:\Sanieev\Letters\022 PageNo.-381

7,	निर्माण हेतु 181.39 हे. भूमि उपयोग हेतु की प्रथा		4.1	
स. क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	शर्तों का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट	रिमार्क	
1	2	3	4	
<b>A</b> :	Conditions required to be complied prior to handing	ng over of forest land by the State Forest I	Department a	inc
	mpliance to be submitted prior to Stage-Il approval:			
1	The user agency has submitted the proposal for diversion of 182.16 ha, however the State Government has recommended only 181.39 ha for diversion. The revised component wise breakup and layout of the 181.39 ha forest land shall be submitted prior to Stage-II approval.	शर्त क्र. A1 के पालन में 181.39 हेक्टेयर वन भूमि का संशोधित component wise breakup एवं layout Stage-II अनुमोदन से पहले क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल एवं नोडल कार्यालय भोपाल के निर्देश अनुसार परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।	-	
2	The plantations affected by the project shall be carried out by the State Government at other suitable locations at the cost of the user agency. A detailed scheme in this regard shall be submitted by the State Government, with the money deposited, KML files and site suitability certificate given by the Nodal officer along with the compliance report of Stage-1.	शर्त क्र. A2 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन संलग्न है।	ЧЭ
3	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	यह कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा। आवेदक संस्था द्वारा 182.16 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में जिला सागर तहसील देवरी के ग्राम रामपुरा(मडाज) खसरा न. 2,3 कुल 127.57 हे एवं जिला सागर तहसील सागर के ग्राम गुरैया खसरा न. 590/2, 593, 594 कुल 54.59 हे गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी है। वन विभाग द्वारा तैयार की गयी वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल के मांग पत्र अनुसार CA राशि 11,83,29,095/— ई—पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में जमा की गई है। ई—चैक कमांक W330562710 दिनांक 29/08/2023 से भुगतान किया गया।	ई-चैक संत है।	लग्न
4	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007- FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned.	शर्त क्र A4 के पालन में आवेदक संस्था द्वारा 181.39 है0 वन भूमि की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल के मांग पत्र अनुसार NPV राशि 17,37,31,714 / — ई—पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में जमा की गई है। ई—चैक कमांक W330562710 दिनांक 29/08/2023 एवं ई—चैक कमांक W330562739 दिनांक 11/10/2023 से भुगतान किया गया।	ई—चैक संल है।	तरन ऽ
5	The Copy of approved Cachment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted and the commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the CAMPA account through online portal.	शर्त क्र A5 के पालन में आवेदक संस्था द्वारा Catchment Area Treatment (CAT) Plan पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष मू—प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल के मांग पत्र अनुसार राशि 1,42,27,000/— ई—पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में जमा की गई है। ई—चैक कमांक W330562710 दिनांक 29/08/2023 से भुगतान किया गया।	ई-चैक संल है।	Į ve

6	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त क्र. A6 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
7	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval.	शर्त क्र. A7 के पालन में 182.16 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में कलेक्टर सागर के आदेश पारित दिनांक 12.03.2020 द्वारा जिला सागर तहसील देवरी के ग्राम रामपुरा(मडाज) खसरा न. 2,3 कुल 127.57 हे एवं कलेक्टर सागर के आदेश क्र. 10977 / री.कले. / 2021 सागर दिनांक 12.11.2021 द्वारा जिला सागर तहसील सागर के ग्राम गुरैया खसरा न. 590/2, 593, 594 कुल 54.59 हे गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर वन विभाग के अधिपत्य में सौप दी की गई है।	ग्राम गुरैया में खसरा न. 590/2, 593, 594 की कुल 70.43 हे गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी जिसमे से कुल 54.59 हे. भूमि वन विभाग द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाकर अधिपत्य में लिया गया है। (सम्बंधित पत्र संलग्न हैं।)
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA, 2006 अनुपालन पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है।	FRA प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency.	शर्त क्र. A9 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
10	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	शर्त क्र. A10 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
11	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त क्र. All के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
B:	Conditions which need to be complied on field after the Forest Department but the compliance in form	er handing over of forest land to the user	agency by the
app	proval:-	in of undertaking is to be submitted pr	tor to Stage-II
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	शर्त क्र. B1 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.	शर्त क्र. B2 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
3	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	शर्त क्र. B3 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।
4	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be remoced shall be kept as barest minimum during the execution of project.	शर्त क्र. B4 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन पत्र संलग्न है।

	the land of per the	शर्त क्र. B5 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी	R&R Policy
5	The R&R Plan shall be implemented as per the	वचनबद्ध है।	आयुक्त सागर संभाग
	R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	44144	द्वारा दिनांक
	with National R&R Policy, Government of the project work and		07/03/2023 को
	before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be		अनुमोदित की जा
	monitored by the State Government/Regional		चुकी है ।
1	Office of MOEF&CC along with indicators for	1686	34.1.6.1
	monitoring and expected observable milestones.	V. O	
-	The User Agency shall obtain the Environment	शर्त क्र. B6 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी	पर्यायवरणीय स्वीकृति
5	Clearance as per the provisions of the	वचनबद्ध है।	प्रकरण प्रस्ताव क्र
	Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	•	SIA/MP/RIV/4
	Environmental (1200)		42654/2023
			प्रक्रियाधीन(वचन
			पत्र संलग्न है।)
	aball undertake afforestation	शर्त क्र. B7 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी	वचन पत्र
7	The User Agency shall undertake afforestation	वचनबद्ध है।	संलग्न है।
1	along the periphery of the reservoir.		
0	No labour camp shall be established on the forest	शर्त क्र. B8 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी	वचन पत्र
8	land and the User Agency shall provide fuels		संलग्न है।
	preferably alternate fuels to the labourers and the		
	staff working at the site so as to avoid any damage		
	and pressure on the nearby forest areas.	110 -10	ਰਹਰ ਪ੍ਰਕ
9	The boundary of the diverted forest land, shall be	शर्त क्र. B9 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी	वचन पत्र संलग्न है।
	demarcated on ground at the project cost, by	वयनबद्ध है।	सला है।
	erecting four feet high reinforced cement concrete		
	pillars each inscribed with its serial number,	•	
	distance from pillar to pillar and GPS coordinates.		वचन पत्र
10	The forest land proposed to be diverted shall under	शर्त क्र. B10 के पालन करने के लिए यूजर	संलग्न है।
	no circumstances be transferred to any other	्रिणसा पयनवस्त्र हो।	SKI - SI
	agency, department or person without prior		
	approval of the Central Government.	प्रार्त क्र. B11 के पालन करने के लिए यूजर	वचन पत्र
11	No damage to the flora and fauna of the adjoining	एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न है।
	area shall be caused.		
	C. C	, शर्त क्र. B12 के पालन करने के लिए यूजर	वचन पत्र
12	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided by the user agency to the laboure	V 0	संलग्न है।
	after purchasing the same from the State Fores		
	Department or the Forest Development Corporatio	n	
	or any other legal source of alternate fuel.		
13	the managed chall not b	e शर्त क्र. B13 के पालन करने के लिए यूज	र वचन पत्र संलग्न है।
1.	changed without the prior approval of the Centra	ıl एजेंसी वचनबद्ध है।	सलग्न ह।
	Government		र वचन पः
14	No additional or new path will be constructed	d शर्त क्र. B14 के पालन करने के लिए यूज	र विधन ५.
-	inside the forest area for transportation	)I   १णसा प्रयावश्च हा	MNIATE SCI
	construction materials for execution of the proje	et	
	work	1 1 2 2 2	र वचन प
1	The period of diversion under this approval shall be		संलग्न है।
	co-terminus with the period of lease to be granted	in एजाता प्रयापक्ष ए।	10 EXSS. 9( & !)
	favour of the user agency or the project in	e,	¥
	whichever is less.	( ) ( )	र वचन प
1	6 The user agency in consultation with the Sta		संलग्न है।
	Government shall create and maintain alterna	ति दिलासा समानव दा	N.
	habitat/home for the avifauna, whose nesting tre	ete .	
	are to be cleared in this project. Bird's ne	all	
1	artificially made out of eco-friendly material sh	an	
		411	
	be used in the area, including forest area and hum	ed	
	be used in the area, including forest area and fully settlements, adjoining the forest area being divert for the project.	ed .	

17	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area.	शर्त क्र. B17 वन विभाग से सम्बंधित है।		
18	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department.	शर्त क्र. B18 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन संलग्न है।	पत्र
19	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	शर्त क्र. B19 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन संलग्न है।	पत्र
20	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.	शर्त क्र. B20 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन संलग्न है।	पत्र
21	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	शर्त क्र. B21 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन संलग्न है।	पत्र
22	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	शर्त क्र. B22 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन संलग्न है।	पत्र
23	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. After receipt of compliance report on fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.	शर्त क्र. B23 के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	वचन संलग्न है।	чя

(Akhil Birthare)

Executive Engineer

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### **UNDERTAKING**

User agency undertakes that the plantations affected by the project shall be carried out by the State Government at other suitable locations at the cost of the user agency.

(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Dn. N0.3
Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

# Payment Order List E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Date From: 01/08/2023 To: 31/08/2023

DDO Code: 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Logged In User: Mr. DEVENDRA PRASAD MISHRA(Assistant Grade III) Server Name: DCDBSRV3\_Managed\_4

Report Generated Time: 20/10/2023 12:46:30

Party         Voucher No         Payment         Amount Paid         IFSC Code         Account No         Mode         Bill Ref No         Advice No         Cheque No         Cheque No         Effe No           R RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE         SANGALORE         3304701         3304701         29/08/2023         16,55,99,952.00         UBIN0996335         150765743200816         E-Payment         WorkID/200016393058         3303102002/08/2023-24         W130562710         RBL 330_000298_29082023         RBI           CAMPA         16,55,99,952.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.00         16,55,99,552.									16,55,99,952.00					Total
Mode Bill Ref No E-Payment WorkID/200016393058														
Mode Bill Ref No E-Payment WorkID/2000 16393058				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					16,55,99,952.00					Total
Niede Bill Ref No	RBI24223458	RBI_330_000298_29082023	W330562710	3303102002/082023-24 /E0184	WorkID/200016393058	E-Payment	150765743200816	UBIN0996335	16,55,99,952.00	29/08/2023	330/4701 /082023-24/001:	MADHYA 1 PRADESH CAMPA	200027196621	-
Name Voucher No Payment Amount Paid IFSC Code Account No Mode Bill Ref No Advice No Cheque No Effie No						E	FCS BANGALORI	OF INDIA >>	UNION BANK	I SAGAR >>	RCES DIV.NO.	TER RESOL	2002 : E.E.WA	330310
Name Voucher No Payment Amount Paid IFSC Code Account No Mode Bill Ref No Advice No Cheque No Effile No		W. F		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR										-
	UTR NO	Efile No	Cheque No		Bill Ref No	Mode	Account No	IFSC Code	Amount Paid	Payment	Voucher No	Party Name	Sr.No Party Code	Sr.No

#### AGENCY COPY







## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 28-08-2023

Control of the Contro	
Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
Application No.	5743200816
MoEF/SG File No.	8-20/2022-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Water resources division no 1 sagar (M.P)Sagar
Amount(in Rs)	165599952/-
Section of the Sectio	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Amount in Words :Sixteen Crore Fifty-Five Lakh Ninety-Nine Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Rupees Only

# NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765743200816 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

#### BANK COPY







## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 28-08-2023

WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
5743200816
8-20/2022-FC
MADHYA PRADESH
Water resources division no 1 sagar (M.P) Sagar
165599952/-

Amount in Words :Sixteen Crore Fifty-Five Lakh Ninety-Nine Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Rupees Only

# NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765743200816 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

# Payment Order List E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Date From: 01/10/2023 To: 30/10/2023

DDO Code: 3303102002 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Logged In User: Mr. DEVENDRA PRASAD MISHRA(Assistant Grade III) Server Name: DCDBSRV3\_Managed\_4

Report Generated Time: 20/10/2023 12:42:06

Total	Total	=	330310	Sr.No
		2000273576795	2002 : E.E.WAT	Sr.No Party Code
		MADHYA PRADESH CAMPA	ER RESOU	Party Name
		330/4701 /102023-24/0003	RCES DIV.NO.1	Vaucher No
		11/10/2023	SAGAR >>	Date of Payment
14,06,87,857.00	14,06,87,857.00	14,06,87,857.00	3393192992 : E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE	Party Date of Name Voucher No Payment Amount Paid IFSC Code
		UBIN0996335	OF INDIA >> F	IFSC Code
		15076574320075	CS BANGALOR	Account No
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7 E-Payment		Mode
		WorkID/200016735129		Bill Ref No
		3303102002/102023-24 /E0088		Advice No
		W330562739		Cheque No
		MADHYA 330/4701 11/10/2023 14,06,87,857.00 UBIN0996335 150765743200757 E-Payment WorkID/200016735129 3303102002/102023-24 W330562739 RBI_330_000416_12102023 RBI2862332434677 CAMPA		Efile No
		3 RBI2862332434677		UTRNO

## AGENCY COPY







# NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
u sian No	5743200757
Application No.	8-20/2022-FC
MoEF/SG File No.	MADHYA PRADESH
Location.	Weter resources division no
Address.	sagar (M.P)Sagar
Amount(in Rs)	140687857/-

Amount in Words :Fourteen Crore Six Lakh Eighty-Seven Thousand Eight Hundred and Fifty-Seven Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

s ' Name'	MADHYA PRADESH CAMPA
Beneficiary Name:	UBIN0996335
IFSC Code:	150765743200757
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

. This Challan is strictly to be used for making









## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 10-10-2023

Date: 10-10-2023	CION
Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
i - No	5743200757
Application No.	8-20/2022-FC
MoEF/SG File No.	MADHYA PRADESH
Location.	MADHYA Protes
Address:	Water resources division no 1 sagar (M.P) Sagar
Amount(in Rs)	140687857/-
Amount	Crore Six Lakh Eighty-Seven

Amount in Words :Fourteen Crore Six Lakh Eighty-Seven Thousand Eight Hundred and Fifty-Seven Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

C issu Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
Beneficiary Name:	UBIN0996335
IFSC Code: Pay to Account No.	150765743200757 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference even after 10 miles and 10 miles a

Print

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### **UNDERTAKING**

User Agency undertakes to bear the cost of felling of trees.

(Nishesh Goswami)
Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.) (Akhil Birthare)

#### न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

रा.प्र.कमांक- ०००६ अ/२०(३) वर्ष २०२१-२२ मोजा- गरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक 1, सागर आवेदक विराद अनावेदक म.प्र.शासन !! आदेश !!

(पारित दिनांक \ )\_ / \ | /2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कमांक-1 सागर द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के डब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेत् समत्ल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. १२२ तहसील सागर स्थित राजस्व भिम ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेत् अन्रोध किया गया है। जिसे जांच प्रतिवेदन हेत् अनुविमागीय अधिकारी सागर को भेजा गया।

अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार सुरखी को प्रतिवेदन हेत् भेजा गया। नायब तहसीलदार स्रखी द्वारा प्रकरण क्रमांक ०००१ अ/२०(३) वर्ष 2021-22 पंजीबद्ध किया जाकर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार आपचंद्र मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेत् समत्ल्य मोजा ग्रैया प.ह.नं. १२२ तहसील सागर स्थित राजस्व भिम ख.नं. ५९० रकबा ३७.१०० हे. में से १२.३०० हे., ख.नं. ५९३ रकबा ४०.००० हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तृत की गई। मौजा ग्रैया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 796.73 हे., ग्राम का कुल खाते का क्षेत्रफल 516.36 हे., ग्राम का कुल गैर खाते का क्षेत्रफल 280.37 हे., ग्राम का कुल चरनाई का रकबा 129. 57 हे., ग्राम में चरनोई का 2 प्रतिशत का स्रक्षित रकबा 2.59 हे. से ग्राम 2 प्रतिशत चरनोई का स्रिक्षत रकबा रखने के बाद शेष रकबा 126.98 हे. है। नायब तहसीलदार सरखी द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के ड्रब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेत् समतुल्य मौजा गुरैया प.इ.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 है. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेत् प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेत् अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रकरण में प्रतिवेदन लिखा जाकर इस न्यायालय को भेजा गया है।

प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण नजुल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेत् नजुल अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया।

नजल अधिकारी सागर द्वारा प्रतिवेदन दिनांक २९.१०.२०२१ में प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तरीय नजुल निर्वतन समिति की बैठक दिनांक 28.10.2021 में सर्व सम्मति से अन्विभागीय अधिकारी सागर/ नायब तहसीलदार स्रखी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा

P.T.O.

70.430 हे. भूमि, भूमि म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कांडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर के नाम से भूमि आबंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार सुरखी, अनुविभागीय अधिकारी सागर एवं नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव पर मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर जिला सागर की निम्नानुसार

यसि -	-			
13111 4	-	-		
	2371	11	•	_

स. क.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	<b>ਦਰ</b> 0ਜਂ0	कुल रकवा (है.में)	आवंटित रकवा (हे.में)	मद
01 गुरैया	गरैया	122	590	37,100	12.300	शासकीयः चारागाह
	3		593	40.000	40.000	शासकीय चारागाह
			594	18.130	18.130	शासकीय चरोखर
		योग		95.230	70.430	

म.प्र.मू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कांडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य उक्त भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर (म.प्र. शासन वन विभाग) को आबंटित की जाती है।

उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

> (दीपक आर्थ) कलेक्टर जिला-सागर

जिला-सागर सागर दिनांक (2\_/) //2021

पृ०कः (/ २०))/री०कले०/2021 प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक-1 सागर की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ।

नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ।

4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती कराये जाने तथा हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।

अधीक्षक मू-अमिलेख सागुर जिला सागर को सूचनार्थ।

नायब तहसीलदार सुरखी को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

कलेक्डर



#### खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

			पटवारी हल्का:गुरै	या	7	हसील:साग			जिला: सागर	-	वर्ष: 2023(2024)
ाम: गुरेया भूम के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल	1. भूमिस्वामी का प्रत नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	मिस्वामी 1 अंश	सरकारी पट्टेदार का नुपा उसकी	कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी भाता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	तिल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू- अर्जन प्रक्रियाधीन	1. खरीफ 2. रबी 3. जायद	फसल के	1. सूनि के सिचाई संबंधी प्रास्थित 2. भूबि पर-संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
				5	6	7	8	9	10	11	12
1 1533149021 81KE6ADBZTAJ	590/2 H0 (S)	3	4 12,3000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण के. 0006/ अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

- 1. यह प्रपन्न केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये हैं |
- 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
- 3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें.।
- 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

#### मध्यप्रदेश कम्प्टरीकृत भू-अभिलेख



#### खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

-3			पटवारी हल्का:गुरै	या		तहसील:स	गिर		जिला:सागर	-	वर्ष: 2023-2024
भाईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	पट्टेदार का उपार	क नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथ निवास का पता	दृष्टिबंधक 3. भू- अर्जन प्रक्रियाधी-	फसल के ब्र फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल क	1. मूमि के शिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2 धूमि पर सरगगा /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1379130333 81KCM3DBP0QTH0	593 (S		40.0000 हेक्टेयर चराजाह 40	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदे शासन शासकीय संस्था	श						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क. 0006/ 31-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । श्रीमान कले.महो.सागर के प्र.क.26 आ.के अनुसार पृथक

- 1. यह प्रपत्र केटल प्रार्थी की जानकारी के लिये हैं |
- . 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
  - 3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए तोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
  - प्रविष्टिगों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।



#### खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

म्म गुरैया  भूमि के भाग की यूनिक भूमि के भू-खण्ड भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	ह (हेक्टेयर/वर्ग नाम, उ मीटर में) पिता/पी	पहेदार (याद का नप्प कोई उसकी का न मता/ उसक विता/पति मात का नाम पित तथा पति निवास नाम का पता निव	हो) विल्लंगम् तथा प्रभार हो) 1 बंधक नाम, 2. की हष्टिबंधक ग/ 3. भू-	फसल फर 1. खरीफ अश	1. मू प्राप्ति 2 ने उस्त के 4. व धीन (1) प्रकल्त सुध	2023 2024 मि के सिंचाई संबंधी पूर्वि पर संरचना /वृक्ष अन्य ऑमयुक्तियाँ वर्ष के दौरान कॉलम संख्या ) से (9) तक में प्रविष्टियों में ग्रार के आदेश
1 2 3 1379377517 81KFAGDBP471H0	18.1300 हेक्टेयर (5	(4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	8	9 10	11	ाद्य स्थायालय कलेक्टर के प्रकरण क. 0006/ 31-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार अ-अभिलेख अदयतित ।
	चरागाह 18.13 इ.0.00					चरोखर

#### नोट:-

- 1. यह प्रपन्न केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है | 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
- 3, डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सवा केंद्र से, एम, पी, ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
- 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |



#### खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

पध्यप्रदेश भू-राजस्त संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

्राम महाज  पूमि के भाग की यूमिक भूमि के भू-खण्ड सार्ख्याक(ब्लॉव प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	पटवारी हल्का: चक्कपापला	तहसील: देवरी  1. मौरुषी भूमि पर सरकारी कृषक विल्लंगम पट्टेदार (यदि तथा प्रभूक का नाम, कीई हो) 1 बंधक उसकी का नाम, 2 उसकी हिष्टबंधव माता/ पति माता/ अर्जन तथा पति का प्रक्रियाः निवास नाम तथा का पता निवास 2. पट्टे का पता की अवधि 3. पट्टे	फसल के ब्योरे 1. प्रा प्रसल फसल के 4 1. खरीफ अधीन 2. रबी 3. जायद	: 2023 (2024 मूझ के शिचाई संबंधी मूझ पर संख्या /वृक्ष . अन्य अभियुक्तियाँ . वर्ष के दौरान कॉलम संख्या 1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1 2 3 1002249731 81CF18DC4CHDH0 2 (S)	1 5	के अधीन क्षेत्र	9 10 11	जि.प.के अनुसार चरोखर त्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक 8495/री. कले./17 सागर दिलांक 10.07.2017 के अनुसार यह भूमि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। त्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक/8697/री. कले./17 सागर दिलांक 22.07.2017
	£.0.00			भाष्यम सिंचाई परियोजना वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु आरक्षित की जाती हैं ।

- 1. यह प्रपन्न केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये हैं | 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
- 3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम, पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
- 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

## मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



#### खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

		1	टवारी हल्का:चव	कपीपला		तहसील:देवर			जिला:सागर फसल के ब्र	- 4	वर्षः 2023-2024 1. भूमि के सिचाई संबंधी
भाग की यूनिक भूमि के भाग क प्रकार (सर्वे क्ष संख्यां संख्यां	न संख्यां की द का	ग्ड 1 क (ब्लॉक ( शा में)	. क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग वीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/:	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	सरकारी पट्टेदार का नगर उसकी	कृषक (पदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथ निवास का पता		फंसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद		प्रस्थित । सरवाग /वृक्ष । अन्य ऑप्युक्तियाँ । अन्य ऑप्युक्तियाँ । वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
				5	-	क्षेत्र	8	9	10	11	
1 003762012 1CDUJDC4ZMZH0	2 (S)	3	पहाड 107.8400 हेक्टेयर पहाड 107.840								नि प.के अनुसार पहाड चट्टान न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश कमांक 8495/री. कले./17 सागर दिनांक 10.07.2017 के अनुसार यह भूमि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को हस्तालरित की जाती है। न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश कमांक/8697/री. कले./17 सागर दिनांक 22.07.2017 के अनुसार यह भूमि कोपर माध्यम सिंचाई परियोजना वैकल्पिक वृक्षारीपण हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु आरक्षित की जाती है।

#### नोट :-

- 1. यह प्रपन्न केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये हैं |
- 2. इसका उपयोग किसी भी न्यापालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक संवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

## थायालयं कलेक्टर सागरं जिला सागर

प्रकरण क. भीमा/19(3) वर्ष 2019-20

	-		Service of the	1-0-1			100		S. 341.01	The state of the s		PICT 2 . 2 . 3	many .	
200	ह्येपालम सं चेताह सा साग्र	272			20 mg	ALC: NO POR		ere to the	- T	* 4 10 10 10	4 1 5 7	Control of Control	1	
7.4		7	2-5-2-	+		-	7.1				4	100		
	THE RESERVE	-	- A - Control	the second	- W. de S.		25.00	100	5.5	200	生 表 70			
	28 35 25 80	W (C)	THE TAX	-	-		140		Mary 15 11		300			والحاد
			44 CA C	1142	TH-17	77 1940 09	Exp.	100		are and	7 32 5		10.0	
Rit.	Calle Steel	ST Francis	192	1 1 N	10 0 mg	100	1000		the street	ALC: N	100 m	0.4-2	THE PARTY NAMED IN	-
<b>34.34</b>	200	3 (90)	1000	TO THE PARTY	100	28 17 24		200				Control of the last	्र आवेद	700
100		1	Carlo Allenda	P41 P114		200	S 70.50	MARKET POWER	Charles Consumers	designation in	-	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON		Desired.
40	a contract of		THE PERSON NAMED IN		1		6. 6.11		1000	14. 70. 8.			0 233	18 3.2
	T		0.10	1 11340	1	A SHARE	1. 3. 10-	J. 12				5.00	F 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
-	सासन			Am 1 14 1 1 1 1 1 1	4	1	2 4	King of Variation	50 Car 100		13.7	was a best on	1.00	48.72
3.7	Sall Side	200	40	Meta.	100		1.	2000 kg	F1	24	4.00	The state of	्अनावे	-
	Section 2	100		2 2 1 mg and	<b>经验的工作</b>	1000	4213	Distriction of the last	100			The second second	- OFFICE	q eo
180	1	7	-	74 64 1000	bearing as the said	1	300	THE BEAT	100	a white it t	Service C.	100 miles   100 mi	the fire or plan	
200	Contract of the contract of th	A Property	THE PARTY NAMED IN	A 120 22 12	Market Company	The state of the		The second	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	200	WALK STATE	A CONTRACTOR OF STREET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50

(पारित दिनांक [1/3/2020

प्रकरण का संविध्य विवरण इस प्रकार है कि तहसीत ववरी जिला सागर का प्रकरण कमार्क-1742 में /121 वर्ष 2019-20 मेजा मकाज प्रक्रम 66 तकसीत वेवरी, वन विजाग को क्वास्प्रक क्वारायण का भूम आवंदित किये जाने के संबंधन अनुविभागीय अधिकारी देवरी के अध्यात की प्राप्त हुआ।

प्रकरण जा अवलोकत किया गया। तहसीलवार देवनी द्वारा यह प्रकरण न्यायालय के पत्र कमाक-686/सी.कल./2019 सागर दिनांक 07.11.19 के सबस में दाज कर प्रकरण में इस्तहार जारी कर आपरिताया आमात्रित की गई। प्राम पंचायत से प्रस्ताव लिया जया पटवारी से रिपोर्ट मंगाई गई। पहसीलद्वार देवरी हारा प्रकरण में उपराक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2020 को तथार कर प्राम महाज ए हर 53 पानि में देवरी की शासकीय मूर्वि खन् 2 रकता 255 हैं हैं से 150 है एर **या** 3 कब 1078 है कुल एकबा 1275 है, बौत बाएसर सम्बन परियाजना के वैकारिएक कुमारापण हत् आवटित की जाना सचित होना एवं आदश दिनांक १२८०७ क्षीर प्रत्ये आरंभेत कृत गृहि स्राप्तात के ने क्षित्र कृति स्वता स्वति । सिमाइ परियोजना के लिए देकालक क्षातिएण ठेत के एकमी परलावित कर सकरण उपविचानीय जांदेकारा हे तथा का त्रांचा व्यवस्थानीय स्थादिकारा हे दुर्दर सामग्री नहस्रा हात्तर है आतंद्रद्व है हिन्द्रा ह आर/2020 पी प्राप्तमात है। तार स्थान १८७ र कवा 2835 है जो से 1973 है। एवं स्वपास प्रवार (US रकवा (१७७८) १ चेन्द्रक अकुमा (२७७७) १ जामे आएमर मुख्यक महिलायना के वकारिनक क्याराएम है के आवंदितः किए जानः एवं आदेश दिनाक 2201/17 के हाराध्याराहेतः कर्ता अपि रक्ता रेशिंगिक है प प्रदेश पर स्वया ३)0.00 है. मुम्कि को कोपरा अध्यय सिंचाह परियोच्चा कि वकालाक दुसारापण देन ्रिक्टराज्यके स्वाहित के दर्भाग्य के नत्तर ज्यायात एक विदेश का स्वाहत है।

अतः तहसीलदार् / अहाविद्यापार अहिकारो देवारो के ग्राप्त है। स्तार विरुट्ट ग्राप्त विद्यापार के स्तार के स्टाप्ट

्रमाज्यास्य विकास विकास के स्वापित के स्वापि

THE SHIP SHIP	B.T. P. STEP	THE PARTY OF THE PARTY OF		
WILE STATE		<b>新企业公司</b>	<b>SPECTORINE</b>	मट अल
		<b>等。                                    </b>	233	
		The state of the s	至30(650)][[2]	
भार सहाज		28.33	1877	E IDING & DESCRIPTION
		40704		STATE STATE
News and American		IVI AN	107.84	अधिक शासकाय व
engty	(cycling)			
		- ALC: 10	127,57	

क्यादिता १५५१ हिट्टा हाराहित २०१८ हो। यह २२७१८) के तस्ति अहत यहित्ता करता हुए करता होटेर जात है जाता है। एक हार प्रथम पारिशाकरता के **रिलोर्ड्स** है है। इस एक हो स्थापित की याची है पुरा प्रस्ताव एक द्वारी वास्ता है का एक अपने हैं कि एक एक प्रस्ता के का कि प्रस्ता है कि उने कि वा लेखिकाल प्राप्त हो पर त्याद्र प्रवासिकार हो है विद्यापन है है है के स्वासिक के स्वासिक प्राप्त है जो है के इ का इंदरत पूर्व जन है। उपयोग ने तन पर पूर्व अथवा आशिक पीपेटवारिता लीहजा सका

> STEELS STATE SCH STREET

Ge19/11 Porces frais 31/09/2023 की गाम शर्या पाह्न । 122 या विन्न में यह भी भी 3वास्थित हो वट अनाप खंड भहमम परियोजना में इव रोग में भावित वन शाम के वहले वैक्तिष्ठ श्रायोगा हो authinand as mores 4-11011 3 Davis 30. 00637 20(3) och 2021-22 3-11521 15-115 12/11/2021 - 11645 Zt 20070 590/2 2201 12.30 80 593 2001.40.00 8 và 594 2001 0.18.13 80 gm 70.43 80 3110 12 1 af गर्ड निलमा सीकाम कर टिल्डिश पर निर्मान लगाय क स्टमा लापने की कार्यवाही की गई अवन बार्यवाही में वन विभाग ले वन परिद्यान अविश्वमति ह्यागा वन पाल किल्ह्या तथा वनपाल तथा अलिह्यायन विभाग ले उपमें अलिहाधन उपक्राण कु 0.03 गहार्य प् लवा रामस्य निमार्ग ते लापव लक्षीलरा पुरकी 210 F2813 2722A dan 30/100/ tient & CINET 3419 PO 70.43 80 2 of 54.59 80 2/2 स्टित्य कप के वन विभाग को लीमामें वगारी हत्वंतिति की गई जन विभाग हारा उत्तर क्षाने वा DON1 5164 Bay 2141

Muste And was

R.O. Sayos, TRA-TORGE

#### FORM - II

(For projects other than linear projects) Government of Madhya Pradesh Office of the District Collector Sagar

No....1197

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry if Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 87.02 hectare, 49.16 hectare, 2.88 hectare, 43.10 hectare (182.16 hectare) of forest land proposed to be diverted in favour of E.E Water Resourse Division No 1 Sagar (name of user agency) for "Aapchand Madhyam Paivojna" of Aapchand, Bodhapipariya, Dudhoniya, Chapra Village(s) in sagar tehsil.

. It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire 87.02 hectare, 49.16 hectare, 2.88 hectare, 43.10 hectare (182.16 hectare) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure- VI
- (b) The proposal for such diversion 9with full details of the project and its implications, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA:
- (c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and the they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Panchyat, Aapchand, Chandrapura, Belaimafi, Chandrpura, Chapra in Sagar tehsils. is enclosed as Annexure-I to annexure VI
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been

specifically safeguarded as per section3 (1) of the FRA.

Encl.: As above.

Deepak Arya) COLLECTOR

SAGAR (M.P)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### UNDERTAKING

User Agency undertakes to upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency.

(Nishesh Goswami) **Sub Divisional Officer**Water Resources Sub Dn. N0.3

Water Resources Sub Dn. No. Garhakota, Sagar (M.P.) Executive Engineer
Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### UNDERTAKING

User Agency undertakes that all the funds received shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(Nishesh Goswami) **Sub Divisional Officer**Water Resources Sub Dn. N0.3

Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

Executive Engineer

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(Nishesh Goswami)
Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.) (Akhil Birthare,

**Executive Engineer** 

Water Resources Dn. No. 1 Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

(Nishesh Goswami)
Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.) (Akhil Birthare

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### **UNDERTAKING**

User Agency undertakes that forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.

(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Dn. N0.3
Garhakota, Sagar (M.P.)

Executive Engineer

Water Resources Dn. No. 1
Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India

(Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3

Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

**Executive Engineer** Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be removed shall be kept as barest minimum during the execution of project.

> (Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. No.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### **UNDERTAKING**

User Agency undertakes to obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986.

(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.) (Akhil Birthare)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.

(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.) (Akhil Birthare)

**Executive Engineer** 

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that no labour camp shall be established on the orest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to he labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

(Nishesh Goswami) **Sub Divisional Officer**Water Resources Sub Dn. N0.3

Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

Executive Engineer

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### <u>UNDERTAKING</u>

User Agency undertakes that the boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates.

(Nishesh Goswami) **Sub Divisional Officer**Water Resources Sub Dn. N0.3

Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Dn. No. 1
Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

(Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. No.3

Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that no damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.

(Nishesh Goswami)
Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.) (Akhil Birthare)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

> (Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare) **Executive Engineer** Water Resources Dn. No. 1 Sagar (M.P.)

#### Annexure-

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER. WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

## UNDERTAKING

User Agency undertakes that he layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

### UNDERTAKING

User Agency undertakes that no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

(Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### UNDERTAKING

User Agency undertakes that the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

(Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### UNDERTAKING

User Agency undertakes that the user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.

(Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare **Executive Engineer**  इन

b

Water Resources Dn. No. 1 Sagar (M.P.)

### Annexure-

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER. WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.) Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

# UNDERTAKING

User Agency undertakes to restrict the felling of trees to minimum abers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict ervision of the State Forest Department.

(Nishesh Goswami) Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare) Executive Engineer Water Resources Dn. No. 1 गाइन

Top

Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### UNDERTAKING

User Agency undertakes to explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.

(Nishesh Goswami)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Dn. N0.3

Garhakota, Sagar (M.P.)

Executive Engineer

Water Resources Dn. No. 1 Sagar (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### UNDERTAKING

User Agency undertakes to submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.

(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare

इन

Top

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER. WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### UNDERTAKING

User Agency undertakes to comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and NGT Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer Water Resources Sub Dn. N0.3 Garhakota, Sagar (M.P.) (Akhil Birthare)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail:eewrdno1sgr@gmail.com

#### **UNDERTAKING**

User Agency undertakes that Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.

(Nishesh Goswami)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Dn. N0.3
Garhakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

Executive Engineer

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)

# कार्यालय किमश्नरसागरसंभागसागर

d 63 / yd 41.31. / 2023

सागरिदनांक 0 न/ 03/ 2023

#### सूवना

आपचंद जलाशय मध्यम परियोजना जिला-सागर में तहसील सागर के अंतर्गत सूब क्षेत्र के ग्राम आपचंद, बोधा पिपरिया, गाँची एवं दुधौनिया के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों की मूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की भूमि अर्जन पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन में उत्तित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित की जा रही भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन हेतु कलेक्टर ज़िला सागर के राजस्व प्रकरण क्र 22 अ/82/वर्ष 2022-23 में धारा 45 (2) के तहत गठित पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरांत प्रस्तुत पुर्नवसन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम अधिनियम की धारा 17(2) के तहत अनुमोदन उपरांत धारा 18 के तहत इस सूक्ष्मा के साथ (गुक्तम शुक्ल) संलग्न कर प्रकाशन किया जाता है।

किमिश्नर सागर संभाग सागर सागरदिनांक ०२/ ०२/ २०२३

इन

पृ.क / ६५ /एक-स.अ. / 2023

1. आयुक्त जन संपर्क कार्यालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचना की 03 प्रतियां प्रेषित कर अनुरोध है कि सूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में जिनमें से 01 प्रादेशिक भाषा में प्रतिलिपि:-होंगा. में प्रकाशन कराकर कृपया प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को

2. कलेक्टर जिला सागर की ओर उनके मूल प्रकरण 22 अ/82/वर्ष 2022-23 सहित

सूचनार्थ एवं प्रकरण में तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु। 3. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर की ओर सूचना की एक प्रति कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा कराकर प्रकाशन कराये जाने एवं प्रकाशन रिपोर्ट कलेक्टर सागर को उपलब्ध कराये जाने हेतु।

4. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र सागर की ओर सूचनार्थ जिले की

5. तहसीलदार सागर जिला सागर की ओर सूचना की एक प्रति तहसील कार्यालय सागर/संबंधित ग्रामों की ग्राम पंचायतों में प्रकाशन कराये जाने एवं प्रकाशन रिपोर्ट कलेक्टर सागर को उपलब्ध कराये जाने हेतु।

### पचंद मध्यम परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं र्वावस्थापन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की घारा 16 के तहत तैयार की गई पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति प्ररूप

दिनांक 12/09/2022 को आपचंद मध्यम परियोजनांतर्गत अर्जित की जा भूमियों के कारण प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मू-अर्जन धिनियम 2013 की धारा 16 के तहत परियोजना प्रशासक (प्रभारी अधिकारी, मू-अर्जन ाखा) द्वारा तैयार की गई पुनर्वासन एवं पुनर्वावस्थापन नीति का अधिनियम की घारा 45(2) तहत गठित पुनर्वासन और पुनर्वावस्थापन समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। आपवंद मध्यम परियोजनांतर्गत तहसील सागर जिला सागर अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे अधिनियम 2013 कहा गया है) के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का

19/19/	र याचे अधि	नियम 2013 पर		चित्र समि	कुल रपाना
13 (to	स आग जा	नियम 2013 पर	निजी प्रभावित	शासकीय भूमि	
र्जन कि	या जाना प्रस	ग्राम	रकवा हे0.में	का रकवा हैं 0. में	320.32
	तहसील	31.7	रक्षवा हरा	100.64	
.F	de si.		219.68	12.28	133.00
क्र.		आपचंद	121.40		
1	सागर	बोधापिपरिया	9.04	1	
	सागर	गौंची		10.50	-20.00
2	सागर		12.08		500.00
3		दुधोनिया	362.200	137.00	जिला सागर
4	सागर	4	502.2	) जमांक-एक सागर गाधन विभाग के र	रंगकत सर्वेक्षण द
4	योग:-	0 -TI F	साधन सभाग मंस	पाचान विभाग के	गुना गामों
	41.1.	गंनी जल १	: 414	The second of	diatin

2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार प्रभावित ग्रामों का राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल भरताय जनुतार भनावत भाग का राजार्य रूप जल त्रतावन विनाय के त्रयुवत त्रयदावन यल से सर्वेक्षण कराया गया। उक्त प्रारंभिक सर्वेक्षण अनुसार उपरोक्तानुसार ग्रामों में

316	कुल अधि. 2013 की प्रभावित प्राप्त 3ड व्यवित के तहत	जिनके राख्य	नर्यावस्थापन व्यक्तिक प्रमुखक	किया जीना पशुबाड़ा रखने वाले परिवारों की संख्या	लोकपर्योगी शासकीय भवनो की शंख्या	अन्य सुख सुविधायें एवं संचनाओं की संख्या
1 2 अपचंद	जिनके प्रभावित प्रभावित परिवारों की परिवारों की परिवारों की निवारों हैं की संख्या की परिवारों की परिवारों की संख्या की परिवारों की परिवार	मकानों न अस्थाई निवास हैं 6	7 8 79 00 10 00	9 10 03 35 00 07	11 01 00 00	12 00 01 00 00
1 सागर बोधापिपरि 2 सागर या 3 सागर गाँची 4 सागर दुधानिया	01 08	01 4 00 4 20 प्रभावित कुटुंबों त पनर्वासन ओ	10 00 05 00 104 00 के पुनर्वासन् धुनर्व्यवस्था	00 01 03 44 एवं पुनर्व्यव पन नीति क हत आपचंद	्रिधापन हेत् । निर्धारण मध्यम परि	01 3 अधिनियम किया जाना रेयोजनांतर्गत वेत हैं।

3-2013 की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्वासन एवं पुनर्वावस्थापन हेतु श्र 2013 की धारा 16 क तथा पुरावारान आर उराज्यवरणाना नाता का गावारण किया जाना अगि अपेक्षित है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत आपचंद मध्यम परियोजनांतर्गत अपाक्षत ह। अतः आधानवन २०१३ वर्ग वर्गा १० वर्ग प्रहण आपवद नध्यम पारयाजना निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति प्रारूप तैयार किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त तालिका अनुसार आपचंद जलाशय परियोजनांतर्गत प्रभावित भूमि 4- उपरावत तालका जनुसार जायवप जालासय पारवाजनातगत प्रभावित भूमें अर्जन के कारण तहसील सागर के 04 ग्रामों में 70 व्यक्तियों (कॉलम नंबर 4 एवं 6 में अर्जन के कारण तहसील सागर के उने के किताने कार्जिक करें के अजन के कारण तहसाल सागर के एम आगा में 10 व्यापराया किलम नवर 4 एवं 6 में अजिन के कारण तहसाल सागर के उन्ने हैं जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अकित व्यक्तियों) के मकान प्रभावित हो रहे हैं जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा आकत व्याक्तया) क मकान प्रचानित वर ए ए ए एपरान प्रमानित मकान धारका के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3ड के तहत सर्वेक्षित 34 (कॉलम नंबर 5 में अंकित) कुटुंब भी किया राज्य है में अंकित प्रकार कार्य है में अंकित कार्य है आधानयम 2013 का घारा 38 क प्राप्त स्वादात 34 (कालम नवर 5 म आकत) कुटुब भी निवासरत है। प्रभावित मकानधारकों में से 20 (कॉलम नंबर 6 में अंकित) मकानधारकों का निवासरत है। प्रभावित मकानधारका म रा 20 (कालम नंबर 6 म आंकत) मकानधारकों का कृषि कार्य प्रभावित मकानों में स्थाई निवास नहीं है उक्त मकान को पशुपालन अथवा कृषि कार्य प्रभावित मकानों में स्थाई है। परियोजनांतर्गत तहसील सागर में अनुमानित कुल 84 (50 उपयोग में लिये जा रहे हैं। परियोजनांतर्गत तहसील सागर में अनुमानित कुल 84 लाइन

मांक

एफ-

**5** -



थाई निवासी तथा 34 धारा 3ड के तहत) प्रभावित कुटुंवों का पुनर्वावस्थापन किया जाना श्री उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत है ल्था जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है के विस्थापन हेतु गौजा आपचंद पट.ह.नं.-109 तहसील सागर की शासकीय भूगि खसरा नंबर 1037/1 में से रकवा 2.000 है भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित की जाकर न्यायालय कलेक्टर सागर में भूमि आवटन हेतु प्रकरण क्रमांक-83अ / 20(3) / 21-22 एवं 93अ / 20(3) / 21-22 विचाराधीन है। आवेदक विभाग को भूमि आवंटन होने के उपरांत के उपरांत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवंटित शासकीय भूमि पर प्रभावित अवार्डियों को पात्रानुसार एक-एक आवासीय पट्टे 30x30 वर्गफुट के लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जावेगे जिसकी समयसीमा मू-अर्जन पकरणों में अवार्ड पारित होन के उपरांत तीन माह होगी।

अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार

पुनवसिन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें / सुविधायें दी जावेगी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा

जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

किंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित

यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो (3)

निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा। अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से

जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों अधिक मकान नहीं दिया जाएँगा। (4) में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रमावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य (5) विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के (6)

समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुरुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुरुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। (7)

पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथारिथति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। (8)

किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे गूमि अर्जन के कारण प्राणाज्यम, जान्या पर कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेद्धिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक (9)

बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में (10)

दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन

प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा। (12)

प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में (13)(14)

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के हो सकेगा। पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम

िम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी। सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था

वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित (2)

भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन। (3)

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह (4)

उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या (5) (6)

यथेचित पंचायत घर

बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो। (7)

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी (8) रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य (9)

स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या

स्वव्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) (11)

शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के (13)

उपवधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (15)

(16)बच्बों के लिए कीड़ा क्षेत्र

प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र प्रभावित क्षेत्र की (17)संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और (18)

सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अविध तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित् कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

अधिनियम की धारा उंड के तहत प्रभावित कूटूंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया

जावेगा।

(भुजबल सिंह पटैल)

प्रतिनिधि माननीय राज्य मंत्री महोदय जल शक्ति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार

to arefull (गोपाल भार्गव) मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन

(अखिल बिलथरे) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-एक सागर जिला सागर

जिन्हिप चीर्या जिल्ला स्थापिया स्थ



श्रीमति वेबीबाई पति रामकृष्ण परिहार (सरस्वती स्व. सहायता समूह आपचंद)

(श्रीमति सूपना त्रिपाठी) अनुविभागीय अधिकारी एवं मू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर

ग्राम पंचायत आपचद गाम पंचायत आपचंद विकासखण्ड सागर

ग्राम पंचायत बेलईमाफी गाम गाम रिप च ग्राम पंचायत बेलई माफी विकासखण्ड सागर

(अखिलेश जैन) अपर कलेक्टर सागर जिला सागर एवं प्रभारी अधिकारी भ-अर्जन शाखा

र्खा प्रबंधक बैक ऑफ इंडिया शाखा कलेक्ट्रट परिसर सागर

> ग्राम पंचायतं वन्द्रपुरा ब्रिकापंजनपुर नेश्वाय जनपद पेचायत सागर जिला सागर (म.घ.)

(अशोक पिता बलदेव अहि.)

(सूरज पिता राघे आदिवासी)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक/एफ-3/101/2021/10-11/12/3782 भोपाल, दिनांक 22-8-23

वनमंडलाधिकारी, सा० वन मण्डल, दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:-जिला सागर के अन्तर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्टेयर (आनलाईन रकबा 182.16 हे0) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 21.08.2023

--00--

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रित संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कार्यालय नई दिल्ली ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

शर्त क्रमांक— A(iii) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा तैयार की गई निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि आवेदक संस्थान से एड—हॉक कैम्पा मद में आनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जावें :—

क्र	स्थल का नाम / वनपरिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	रोपण योग्य रकबा (हे० में)	योजना की राशि (रूपये में)
1	ग्राम गुरैया	593, 594	54.586	3,04,23,848
2	वनपरिक्षेत्र ढाना	पी. एफ. 812	25.00	1,76,16,500
3	वनपरिक्षेत्र ढाना	आर. एफ. 798	40.00	2,31,97,900
4	वनपरिक्षेत्र केसली	पी. एफ. 1064	35.00	2,66,00,000
5	वनपरिक्षेत्र ढाना	पी. एफ. 909	30.00	2,04,90,847
***************************************	MALINE MEAN	11,83,29,095		

शर्त क्रमांक— A(iv) के पालन में प्रस्तावित 181.39 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू. 17,37,31,714 /— आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में आनलाईन जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक— A(v) के पालन में आवेदक विभाग द्वारा परियोजना अंतर्गत प्रस्तुत किए गए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के प्राक्कलन अनुसार राशि रूपये 142.27 लाख कैम्पा मद में आनलाईन जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक— A(vii) के पालन में प्रकरण में क्षितिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामान्तरण कराकर फार्म पी—2 एवं कब्जा रसीद आदि की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना का प्रारूप वन भू—अभिलेख शाखा को भेजते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें।

शर्त क्रमांक— B(iii) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय संबंधी वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर प्रेषित किया जावें।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी शेष समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त किया जाकर इस कार्यालय को 02 प्रति में प्रेषित किया जावें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

> (सुनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-3 / 101 / 2021 / 10-11 / 12 93 न 83 प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक 22-8-23

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।

2. वनमंडलाधिकारी, सां० वन मण्डल, दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।

3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.—1, जिला सागर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु अग्रेषित।

> प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल



## Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bag Road, Aliganj, New Delhi - 110003 Dated: 21<sup>st</sup> August, 2023

To.

The Principal Secretary (Forests), Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Subject: Diversion of 181.39 ha (182.16 ha as per online proposal) forest land for the construction of Apchand Medium Irrigation Project in favour of Water Resource Division under Sagar District of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/IRRIG/43200/2019) - regarding.

Madam/Sir.

I am directed to refer to the Principal Chief conservator of Forests (Land Management) and Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh's letter No. F3/101/2021/10-11/12/2938 dated 23.08.2022 on the above mentioned subject, seeking prior approval of Central Government under Section-2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980, and to say that the said proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government of Madhya Pradesh and on the basis of the recommendations of the Advisory Committee, the Central Government hereby accords "In-principle/Stage-I" approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 181.39 ha forest land for the construction of Apchand Medium Irrigation Project in favour of Water Resource Division under Sagar District of Madhya Pradesh State, subject to the following conditions: -

A: Conditions required to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance to be submitted prior to Stage-II approval:-

The user agency has submitted the proposal for diversion of 182.16 ha, however the State Government has recommended only 181.39 ha for diversion. The revised component wise breakup and layout of the 181.39 ha forest land shall be submitted prior to Stage-II approval.

ii. The plantations affected by the project shall be carried out by the State Government at other suitable locations at the cost of the user agency. A detailed scheme in this regard shall be submitted by the State Government, with the money deposited, KML files and site suitability certificate given by the Nodal officer along with the compliance report of Stage-1.

iii. The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of



- the Environmental (Protection) Act, 1986, if required: vii. The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the
- viii. No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
  - ix. The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;
  - x. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the
  - xi. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;
  - xii. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of
  - xiii. The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of
  - xiv No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;
  - xv. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is
  - xvi. The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the
  - xviii. The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the
  - xviiii. The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State
    - The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest xx. The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the
    - above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly; xxi. The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules,
    - Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;
    - xxii. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018;
    - xxiii. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;

Iv. The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned;

 The Copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted and the commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the CAMPA account through online portal;

The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;

Vil. The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval;

The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;

ix. The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;

x. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;

xi. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

B: Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking is to be submitted prior to Stage-II approval:-

Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency;

At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the than prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;

The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project;

The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government of India before the conserved of the project work and implementation. The said R&R Plan will be made to the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with the said to the said and expected observable milestones:

vi. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of

8-20/2022-FC

1/51301/2023

After receipt of compliance report on fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours sincerely,

(Suneet Bhardwaj)

Assistant Inspector General of Forests

#### Copy to:

- The PCCF (HoFF), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 2 The Dy. DGF (Central), Regional Office, MoEF&CC, Bhopal;
- The Nodal Officer (FCA), Department of Forest Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 4. User Agency:
- Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi for uploading on PARIVESH portal.